उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

7/2/23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक रुक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:08:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायांयल उपखण्ड अधिकारी, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या– 198/22 प्रा0पत्र

1– श्रीमती जड़ाई W/o मांगीलाल जाट निवासी- बाज्या कीखेड़ी तहसील-मांडल [वगैरा]

–प्रार्थी

वनाम

1– श्री पारस S/o बक्षु जाट निवासी- बाज्या की खेड़ी तहसील-मांडल (वगैरा) [प्रतिवादीगणपत्रसंलग्न]

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनाक :- 07-02-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाज्या की खेड़ी पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 2360/1, 2363, 2359/7035 कुल किता 03 रकबा 2.3004 हेक्टयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कास्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बाज्या की खेड़ी पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं 2360/1, 2363, 2359/7035 कुल किता 03 रकबा 2.3004 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बागोर को 900/- रूपये/-- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए गुस्तकोल बिन्दु को आधार मानकर पत्थगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:08:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा